

नम्बर  
अहकाम  
हुकम  
में  
जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

12/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 22/3/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

22/03/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 12/07/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

12/7/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 12/8/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

23/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 8/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

8/11/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 25/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

25/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी  
आदीवक्ता अनुपस्थित। वादीगण एवं  
वादी आदीवक्ता को नियमानुसार रिजवा  
आवाजे लगवाई गई। पत्रावली उपाधिकार  
वही आपन न्यायिक में वादीगण एवं वादी

— जगातर —

सहायक न्यायिक  
रीडर  
25/11/24

वाद सं.  
२७/१७

श्रेष्ठ व/स शहन कां.

८८, ८९, १८८ रता

२५/११/२५

आशिवरुता उपस्थित नहीं आया वादीगण एवं वादी  
आशिवरुता की उपस्थिति में पुनः एक बार आवाज  
लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया

वादीगण एवं वादी आशिवरुता के  
उपस्थिति में उपस्थित नहीं आने से वादीगण का  
उत्तर बाद मन्तव्य द्वारा ८८, ८९ व १८८ राजस्थान  
काश्तकारी आशिवरुता को अदम टावरी अदम  
पैरबी में खारिज किया जाता है। निष्पत्ति से  
इसका पुनरागत वादी पत्रावली के दिक्की पत्र  
जाती है।

पत्रावली को माल शुभा होकर  
वाक्यल माल हो तथा नम्बर से कम है।

  
सर्वकारिय अधिकारी  
बीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भैरू पुत्र श्री मोहन लाल दरोगा उम्र 46 वर्ष निवासी बांसड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कंकू बेवा मोहन लाल दरोगा उम्र 60 वर्ष निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. रतन लाल पुत्र माधु जी दरोगा निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. श्याम लाल पुत्र होकम जी ब्राह्मण निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. चुन्नी लाल पुत्र उदयराम गुर्जर निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. जानु पत्नी देबी लाल गुर्जर निवासी बांसड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. उंकार पुत्र रामा जी दरोगा निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद बाबत घोषणा एवं  
स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 27/2019 राजस्व वाद

वादीगण स्वयं एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 25.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
25/11/24  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा